निर्णयः– बबलू बनाम तहसीलदार बगैरा
प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांकः– 02.01.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)

पीठासीन अधिकारीः सृष्टि जैन (आर.ए.एस.) निर्णय दिनांकः 02.01.2025
वाद संख्याः 05/2022

बबलू पुत्र फूलचंद जाति माली, निवासी ग्राम गुलपाडा तहसील सीकरी जिला डीग।

---प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार साहब सीकरी, तहसील सीकरी।

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री मुबीर खांन अधिवक्ता प्रार्थी।

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 675/0.59, 337/0.65, 338/0.39, 574/0.31, 593/0.49, 619/0.44, 632/0.34 बाके ग्राम गुलपाडा तहसील सीकरी प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी की उक्त आराजी पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से बबलू के स्थान पर छोटेलाल दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बबलू है तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम बबलू है। प्रार्थी के गांव में छोटेलाल पुत्र फूलचंद जाति माली के नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज के कारण सरकारी एवं अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए प्रार्थी छोटेलाल के स्थान पर अपना नाम बबलू दर्ज करा पाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावे तथा उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थी का नाम छोटेलाल के स्थान पर बबलू शुद्ध फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार (तहसीलदार सीकरी) से प्रार्थना पत्र की बाबत रिपोर्ट ली गई। पैरोकार सरकार ने दिनांक 25.10.2023 को प्रार्थना पत्र की बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की। पेरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कथन किया कि विवादित आराजी की बाबत इ.नं. 1129 से फूलचंद की विरासत अनुसार छोटेलाल पुत्र फूलचंद के नाम दर्ज हुई। तत्समय प्रार्थी का नाम छोटेलाल बताया गया। बबलू एवं छोटेलाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र फूलचंद के स्थान पर बबलू पुत्र फूलचंद शुद्ध किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज0

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः– बबलू बनाम तहसीलदार वगै०
प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांकः– 02.01.2025

आज प्रार्थी के अभिभाषक की बहस बाबत प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाह खैमचंद पुत्र फूलचंद, मुकेश पुत्र फूलचंद, तेजपाल पुत्र फूलचंद, एवं श्रीमती मल्ली देवी पत्नि फूलचंद जातियान माली निवासीयान गुलपाडा के शपथ पत्र पेश किये। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी का बबलू पुत्र फूलचंद के बजाय छोटेलाल पुत्र फूलचंद दर्ज कर दिया जबकि छोटेलाल पुत्र फूलचंद नाम का कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र फूलचंद के स्थान पर बबलू पुत्र फूलचंद शुद्ध किया जावे।

इस प्रकार संपूर्ण पत्रावली एवं तहसीलदार सीकरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, गवाहान (सहकाश्तकारान) का अवलोकन अध्ययन व मनन किया जाकर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी का नाम आराजी पर जरिये विरासत नामान्तरकरण दर्ज रिकार्ड हुआ है। उक्त विरासत के नामान्तरकरण के दौरान प्रार्थी का नाम बबलू के स्थान पर छोटेलाल दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी को विधिसम्मत धाराओं में कार्यवाही करनी चाहिए।

आराजी खसरा 675/0.59, 337/0.65, 338/0.39, 574/0.31, 593/0.49, 619/0.44, 632/0.34 वाके ग्राम गुलपाडा तहसील सीकरी पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम आराजी पर जरिये विरासत नामान्तरकरण दर्ज रिकार्ड हुआ है। उक्त विरासत के नामान्तरकरण के दौरान प्रार्थी का नाम बबलू के स्थान पर छोटेलाल दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी को उक्त विरासत के नामान्तरकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करनी चाहिए। प्रार्थी प्रकरण में सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट खारिज फरमाया जाता है निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सीकरी को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner